



अति आवश्यक
आज ही जारी हो

राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति
स्वास्थ्य भवन, जयपुर

क्रमांक : F29(39)NRHM/MMJRK/Circular/09/५६९०

दिनांक : ३/१२/२००९

परिपत्र

राज्य मंत्रिमण्डल की आज्ञा 113/2009 की अनुपालना में राज्य के समस्त HIV/AIDS मरीजों को तुरन्त प्रभाव से मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के अन्तर्गत निःशुल्क पूरी जाँच, मुफ्त दवा और पूरे निदान की चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का निर्णय एतद् द्वारा लिया जाता है।

(भवानी सिंह देथा)
मिशन निदेशक

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय।
2. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
6. समस्त संभागीय आयुक्त / जिला कलक्टर।
7. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक/अधीक्षक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, राजस्थान।
9. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान।
10. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
11. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला / सैटेलाइट / उप खण्ड चिकित्सालय।
12. समस्त ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
13. समस्त प्रभारी अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र।
14. समस्त प्रभारी अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र।
15. पर्मारी सर्वर रुम को प्रेषित कर लेख है कि कृपया संबंधित को ई मेल करावे का श्रम करावें।

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन